

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाऊदनगर, मोहनलाल गंज, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-9790/17फ/नि०नि०अ०/2016-17, दिनांक 03-09-2016 तथा शासनादेश संख्या-1381/पांच-6-16-8(नि०)/16, दिनांक 28.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाऊदनगर, मोहनलाल गंज, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु रु०-140.52 लाख (रूपया एक करोड़ चालिस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व रु०-70.26 लाख (रूपया सत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-1381/पांच-6-16-8(नि०)/16, दिनांक 28.07.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम०ओ०यू० निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम०ओ०यू० निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी०एल०ए०/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- (7) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।
- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पी०एच०सी० सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एस०सी०एस०पी० तथा टी०एस०पी० अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।
- (9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

- (10) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।
- (11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।
- (12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्ये-103-प्राथ0स्वा0केन्द्र-06-नये प्राथ0स्वा0केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

1

(अवधेश कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव

संख्या- 252 /2016/2225 (1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ ।
- (4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (7) मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
- (9) संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, रायबरेली इकाई, रायबरेली ।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
- (12) गार्ड फाइल।
- (13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

उप सचिव